कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.)

क्रमांक......3518.../2025 **// निविदा //** सतना, दिनांक 09.09.2025

एक–15–1/2010

जिला न्यायालय सतना एवं तहसील न्यायालय नागौद, मैहर, चित्रकूट एवं उचेहरा के सर्वर रूम में लगे हुए 2 KVA GXTMT+CX LB 16 AMP के यूपीएस हेतु 12V 120AH क्षमता की 30 नग बैटरी क्रय किया जाना है जिस हेतु इच्छुक संस्थान/प्रतिष्ठान दिनांक 24.09.2025 को सायं 05:00 बजे तक कोटेशन स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से अथवा रजिस्टर्ड डाक से बंद लिफाफे में कार्यालय अनुभाग प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना /नजारत अनुभाग सतना में प्रस्तुत कर सकता है।

खुली निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु शर्ते निम्न है :–

(1) 12 वोल्ट 120 एएच क्षमता 30 नग एक्साइड कंपनी की पुरानी बैटरी को बॉयबैक करने हेतु कीमत का उल्लेख भी कोटेशन में पृथक् से दर्शाया जावें।

(2) बैटरियों के निर्माण की अवधि पिछले 03 महीने की अवधि के भीतर होनी चाहिए।

(3) फर्म को ओईएम (OEM) वेण्डर का सर्टीफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

(4) क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर फर्म को जिला न्यायालय सतना, तहसील न्यायालय नागौद, मैहर, चित्रकूट एवं उचेहरा में 06–06 नग बैटरियों को पृथक्–पृथक् से भेजा जावें जिसका इंस्टालेशन संबंधित फर्म के इंजीनियर के माध्यम से ही किया जावें, डिल्हेवरी एवं इस्टालेशन का चार्ज फर्म को स्वयं वहन करना होगा, पृथक् से देय नहीं होगा।

(5) उक्त बैटरियों को जिला न्यायालय में इंस्टालेशन किये जाने के पश्चात् जेएसए से एवं तहसील न्यायालयों में इंस्टालेशन किये जाने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट नजारत अनुभाग में पदस्थ नायब नाजिर से हस्ताक्षरित करवाया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जावें।

(6) फर्म को अपने कोटेशन में बैटरी के मेक/मॉडल, वारंटी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(7) फर्म को बैटरियों की 02 साल की ऑनसाईट वारंटी देनी होगी।

(8) फर्म को अपने संबंधित इंजीनियर जिनके द्वारा सेवाएं प्रदान किया जाना है, उनका नाम, मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।

(9) उक्त बैटरियां दो प्रतिष्ठित ब्राण्ड (Top two brand) की होनी चाहिए।

(10) उक्त बैटरियों का इंस्टालेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस के अंदर कार्यालय अनुभाग से भुगतान की कार्यवाही किया जावेगा।

(11) उक्त बैटरियों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित फर्म समस्या का तत्काल निराकरण करेंगे।

(12) फर्म द्वारा बिल पर बैंक खाता क्रमांक एवं IFSC no. लिखा होना आवश्यक है।

(13) किसी भी निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या अमान्य करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना को होगा जिसे मानने के लिए सभी निविदा भरने वाले बाध्य होंगे।

9/09/25

वास्ते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सतना (म.प्र.)